

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

शुद्धि-पत्र

ज्ञापांक:- 7/SVS- 02-125/2021-
सेवा में,

2445

राँची, दिनांक :- 13/6/22

अनीपचारिक रूप
से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में "जल जीवन मिशन (JJM)" के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सरायकेला के कुल 114 अदद ग्रामों में 14201 अदद FHTC उपलब्ध कराने के लिए 03 अदद SVS Cluster (07 Sub-Cluster) जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश से राशि रुपये 2471.76000 लाख तथा राज्यांश से राशि रुपये 2471.76000 लाख कुल समेकित राशि रुपये 4943.52000 लाख (उनचास करोड़ तैंतालीस लाख बावन हजार रुपये) मात्र पर योजना एवं व्यय हेतु स्वीकृत्यादेश में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय ज्ञापांक- 165 (स्वी), दिनांक- 30.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के द्वारा जल जीवन मिशन (JJM) अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सरायकेला के कुल 114 अदद ग्रामों में 14201 अदद FHTC उपलब्ध कराने के लिए 03 अदद SVS Cluster (07 Sub-Cluster) जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश के संलग्न विवरणी के क्रम (Row) संख्या- 06 एवं 07 में टंकण भूलवश 3A एवं 3B के स्थान पर क्रमशः 3B एवं 4A अंकित हो गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त स्वीकृत्यादेश के संलग्न विवरणी के क्रम (Row) संख्या- 06 एवं 07 में अंकित 3B एवं 4A के स्थान पर क्रमशः '3A एवं 3B' पढ़ा जाय।

2. प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश की अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

अनु०- यथोपरि।

माह

माह

(प्रशांत कुमार) -
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- 7/SVS- 02-125/2021-

2445

राँची, दिनांक :- 13/6/22

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संबंधित माननीय सांसद/विधायक को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा/उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियंता (पी०एम०यू०)/निदेशक (पी०एम०यू०)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र, राँची/अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. राज्य समन्वयक (IT M&E) SPMU को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(प्रशांत कुमार) -